



कार्यालय प्रधान आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
 OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER (AUDIT) CENTRAL GOODS & SERVICE TAX,
 G-105, New Industrial Area, Opp. Diesel Shed, Basni, Jodhpur (Raj.)
 E-mail: tech-auditjdr@gov.in, tech-auditjdr@gov.in

सेवा में,

Shri Deepak Yadav
 2/14, Agrasen colony, Dausa, Pin:303303
 E-mail: slice519090@gmail.com

विषय : RTI application Registration No. GSTJP/R/E/26/00072 dated 27.03.2026 under the RTI Act, 2005- reg.

महोदय,

कृपया आपके RTI आवेदन पंजीकरण संख्या GSTJP/R/E/26/00072 दिनांक 27.03.2026 का संदर्भ लें, जिसे मुख्य आयुक्त कार्यालय, CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है।

2. उपरोक्त RTI आवेदन के संदर्भ में बिंदुवार उत्तर नीचे दिया गया है:

बिंदु 1: मुख्य आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 21.06.2024 के अनुसार DD COST के निम्नलिखित कार्य इस कार्यालय को बताये गए हैं:

डेस्क रिव्यू (Desk Review) के चरण से ही संबंधित करदाताओं के ऑडिट से जुड़ना। लागत लेखा रिकॉर्ड और खातों पर अपने निष्कर्ष/अवलोकन (Observations) देना, जो 'ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट' (DAR) का हिस्सा बनते हैं और जिन्हें MCM (Monitoring Committee Meeting) में विचारार्थ रखा जाता है। CGST अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत ऑडिट के संचालन में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

बिंदु 2: उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, DD COST की भूमिका उनकी 'विशेषज्ञता' (Expertise) के आधार पर ऑडिट में तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान करने की है एवं उन्हें विशेष रूप से 'अनुभाग प्रमुख' (P&C) या 'सर्कल प्रमुख' के रूप में कार्य करने हेतु इस कार्यालय द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है।

बिंदु 3 से 6:

इस प्रकार का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है अतः उत्तर शून्य माना जाये।

3. इस प्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गली न. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त गुप्ता)
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी